

अध्याय 2: शास्ति का प्रशासन एवं उद्ग्रहण

क. शास्ति का प्रशासन

2.1 प्रस्तावना

अधिनियम में दण्ड प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य कानून का अनुपालन कराना एवं चूकों के विरुद्ध निवारक के रूप में भी कार्य करना है, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है। दण्ड प्रावधानों को जहाँ आवश्यक हों वहाँ विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। शास्ति केवल तभी लगाई जा सकती है जब यह प्रमाणित हो कि निर्धारिती ने जानबूझ कर छिपाव किया है अथवा अपनी आय² के गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं न केवल इसलिए कि ऐसा करना न्यायपूर्ण है क्योंकि अधिकारी³ को निर्देश दिये गए हैं।

2.2. अभिलेख अनुरक्षण

सीबीडीटी की प्रक्रिया नियमावली (खण्ड II) अभिलेखों के दो अलग सेट निर्धारित करती हैं, एक नियमित आकलन प्रभारों⁴ के लिए एवं दूसरा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विंग के लिए। रजिस्टर, जापन जारी करने, प्रवर्तन, अधिरोपण, अन्तिम तिथि, समापन, पकड़ में न आने वाले कर को ढूँढना, उद्ग्रहण योग्य एवं उद्ग्रहीत शास्ति की मात्रा, आदेश पारित करना, अपीलों के परिणाम, पुनः विचार इत्यादि सहित शास्ति प्रक्रियाओं के विवरण उपलब्ध कराता है। अभिलेख अनुरक्षण में देखी गई विसंगतियाँ बाक्स 2.1 में दर्शाई गई हैं।

बाँक्स 2.1: अभिलेख अनुरक्षण में विसंगतियाँ

क. शास्ति रजिस्ट्रों का अनुरक्षण

हमने देखा कि 15 राज्यों⁵ ने शास्ति रजिस्टर या तो निर्धारित फार्मेट में अनुरक्षित नहीं किये गए थे अथवा जहाँ अनुरक्षित किये थे, वे अद्यतित नहीं थे। शास्ति रजिस्ट्रों के अभाव में, आईटीडी यह सुनिश्चित कर सकने की स्थिति में

² दिलीप एन. श्राफ बनाम सीआईटी (2007) 291 आईटीएस 519 (सर्वोच्च न्यायालय)

³ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य 83 आईटीआर 26 (1972)

⁴ दो रजिस्टर-एक धारा 271 के तहत शास्तियों के लिए एवं दूसरा आईटीएनएस 159ए तथा आईटीएनएस 159 फार्मेट में अन्य सभी धाराओं के लिए।

⁵ बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड।

नहीं है कि शुरू की गई शास्ति प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं एवं आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

ख. अभिलेख अनुरक्षण के लिए आईटी माइयूल्स का प्रयोग

आईटीडी माइयूल डाटा के ऑनलाइन अनुरक्षण के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है जो आसान पुनः प्रापणीयता एवं आगे की कार्यवाही को सक्षम करेगा। हमने देखा कि दिल्ली प्रभार में 36 ईकाईयों में से 10 निर्धारण इकाईयों में, शास्ति से सम्बन्धित सूचना एएसटी माइयूल में अभिलिखित नहीं की जा रही थी।

आईटीडी ने शास्ति प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलम्ब किया जिसके कारण राजस्व की संभावित हानि हुई।

2.3 प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना

अधिनियम की धारा 275 में निर्धारित किया गया है कि शास्ति प्रक्रियाएँ सामान्य रूप से उस वर्ष, जिसमें प्रक्रियाएँ शुरू की गई थीं, के समाप्त होने के छह माह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे मामले में जहाँ निर्धारण अपील में है, तब एओ उस वर्ष, जिसमें अपीलीय निर्णय उसे प्राप्त हुआ है, के समाप्त होने से एक वर्ष के भीतर शास्ति प्रक्रियाएँ पूरी करेगा।

हमने पाया कि आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडू राज्यों से संबंधित 27 मामलों में प्रक्रियाएँ समय पर पूरी नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई (बॉक्स 2.2 देखें)।

बॉक्स 2.2: शास्ति प्रक्रियाओं के समय पर पूरा होने में विलम्ब के सोदाहरण मामले

क. तमिलनाडू डीआईटी (आईटी) चेन्नै में, फरवरी 2010 में **मैसर्स बैंक आफ सीलॉन** के निर्धारण में शुरू की गई शास्ति प्रक्रियाएं दिसम्बर 2012 तक भी लम्बित थीं जिसमें ₹1.02 करोड़ की शास्ति का संभावित गैर उद्ग्रहण सम्मिलित था।

ख. बिहार पटना, की सीआईटी केन्द्रीय-1 में, जहाँ शास्ति प्रक्रियाएँ दिसम्बर 2006 से मार्च 2009 के बीच शुरू की गई थीं, शास्ति रजिस्टर "अपील के निपटान तक स्थगन में रखे गए" दर्शा रहा था। मार्च 2013 तक आईटीडी के अभिलेखों में इन मामलों पर आगे की कोई स्थिति उपलब्ध नहीं थी। संबंधित अभिलेखों की हमारी जाँच ने दर्शाया कि छह मामलों में निर्णय लिया गया था एवं दो मामलों में अतिरिक्त राशि को खारिज कर दिया गया था।

अतः, हमने पाया कि प्रक्रियाओं के प्रभाव को कमजोर करते हुए प्रक्रियाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जाँच की जा रही है।

2.4 गलत मामलों में नोटिस जारी करना

अधिनियम की धारा 271(1)(सी) निर्धारित करती है कि एओ अथवा सीआईटी किसी प्रक्रिया के दौरान यदि संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय के विवरणों को छुपाया है अथवा गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं, तो वह अपवंचन कर के 100 से 300 प्रतिशत तक शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। शास्ति प्रक्रिया निर्धारण आदेश जारी करने के समय शुरु किए जाने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करने में कमियों को बॉक्स 2.3 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 2.3: गलत मामलों में जारी किए गए नोटिस

- क. हमने देखा कि गुजरात में सीआईटी-॥ वड़ोदरा प्रभार में आठ मामलों⁶ में, निर्धारण आदेश में धारा 271(1)(सी) के अतर्गत शास्ति आरंभ करने के लिए कोई निर्देश नहीं था, फिर भी नोटिस जारी किए गए थे। जब हमने इसे बताया, आईटीडी ने बताया (नवम्बर 2012) कि नोटिस गलती से जारी किये गए थे।
- ख. सीआईटी-टीडीएस पटना/टीडीएस सर्कल, बिहार में तीन मामलों⁷ में बैंकों एवं सरकारी निकायों को कर के गैर-भुगतान के लिए कर एवं शास्ति के भुगतान हेतु माँग नोटिस जारी किये गए थे जबकि संबंधित राशियाँ पहले से ही सरकारी खाते में जमा कराई जा चुकी थीं। आईटीडी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि ऐसा गलत तकनीकी मिलान करने के कारण हुआ।

अतः, शास्ति प्रक्रियाओं के लिए नोटिस जारी करते समय उपयुक्त सावधानी नहीं बरती गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जाँच की जा रही है।

⁶ 1. म्यू इलैक्ट्रीकलज प्रा. लि., 2. सन पेट्रोकेमिकल्स प्रा. लि., 3. प्रकाश फाईनेन्शियल सर्विसेज प्रा. लि., 4. समीर सर्जिटिक प्रा. लि., 5. यूनीवर्सल इस्टर्ज लि. 6. प्राईम सेरेमिक प्रा. लि., 7. तासकन्त ऑयल प्रा. लि. एवं 8. सिलचर टैक्नोलोजीज लि.

⁷ 1. एसबीआई, मुख्य शाखा, पटना; 2. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., पटना; 3. बंकीपुर हेड पोस्ट ऑफिस, पटना।

2.5 शास्ति प्रक्रियाओं को गलत ढंग से करना

अधिनियम की धारा 271एए के तहत, 1 जून 2007 को अथवा इसके पश्चात् की गई जाँच के दौरान बाहर आई गुप्त आय पर उस वर्ष के लिए, जब तलाशी की कार्यवाही की गई, गुप्त आय के दस प्रतिशत की दर से शास्ति लगेगी। अन्य वर्षों की गुप्त आय के लिए, धारा 271(1)(सी) के अन्तर्गत छिपाने का प्रयास किए गए कर राशि के बराबर शास्ति लागू होगी (बॉक्स 2.4 देखें)।

बॉक्स 2.4: गलत ढंग से की गई शास्ति प्रक्रियाओं का सोदाहरण मामला

महाराष्ट्र मुम्बई चार्ज (सीआईटी केन्द्रीय-IV के अंतर्गत डीसीसीसी 46) में, श्री विवेक तलवार ने तलाशी के परिणाम स्वरूप नि.व 10 एवं नि.व 11 से संबंधित ₹ 22 करोड़ एवं ₹ 5.25 करोड़ की गुप्त आय कर के लिए प्रस्तुत की। यद्यपि, इसे केवल नि.व 11 तक सीमित रखने के बजाए, ऊपर दर्शाये गए प्रावधानों के उल्लंघन में दोनो नि.व के लिए धारा 271एए के अन्तर्गत प्रक्रिया आरम्भ की गई। नि.व. 10 के लिए गलत दण्ड धारा के उपयोग के कारण ₹ 5.28 करोड़ की कम शास्ति का उद्ग्रहण हुआ।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जाँच की जा रही है।

2.6 शास्ति की मांगों का संग्रह

अधिनियम की धारा 220 निर्धारित करती है कि धारा 156 के अन्तर्गत माँग ज्ञापन में निर्दिष्ट भुगतान योग्य कर की किसी राशि का भुगतान ज्ञापन जारी करने के तीस दिनों के भीतर करना होगा। हमने पाया कि 2 राज्यों में संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए शास्ति आदेशों में की गई माँगों की समुचित निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसका विवरण तालिका 2.1 में दिया जा रहा है।

तालिका 2.1: जारी माँगों की निगरानी न होना

राज्य	अवधि	विलम्बित माँग संग्रह ₹ करोड़ में
बिहार	नि.व. 95 से नि.व. 12	64.22
कर्नाटक	नि.व. 04 से नि.व. 12	6.37

2.7 शास्ति प्रक्रियाओं में निर्धारितियों का प्रतिनिधित्व

अधिनियम की धारा 274 के अनुसार, टीडीएस चूकों के लिए शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए सक्षम अधिकारी क्षेत्रीय जेसीआईटी है। प्रशासनिक ढाँचे की हमारी जाँच से पता चला कि निर्धारितियों को एक निष्पक्ष सुनवाई प्रदान

करने के लिए निर्धारित किया गया तंत्र बिहार राज्य में उपलब्ध नहीं थे। जेसीआईटी-टीडीएस, पटना के कार्यालय ने बहुत दूर क्षेत्रों जैसे टीडीएस-वार्ड, मुज्जफरपुर के अन्तर्गत दरभंगा में स्थित 11 निर्धारितियों को पटना में सुनवाई के लिए सम्मन जारी किया था। पटना से लगभग 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी विभागीय अधिकारियों के सामने प्रतिनिधित्व को धन एवं समय के संदर्भ में अव्यवहारिक बनाती है। समस्त प्रक्रिया आईटीडी को कोई राजस्व प्रतिफल दे या ना दे परन्तु निश्चित रूप से निर्धारितियों के लिए बातचीत की समस्त प्रक्रिया को प्रभावहीन बना देगी।

प्रक्रिया को अधिक प्रभावशील बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के पुर्नगठन की आवश्यकता है।

अधिनियम शास्तियों की शुरुआत के लिए समय-सीमा पर मौन है तथापि यह शास्ति प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करता है।

2.8 शास्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई समय सीमा न होना

अधिनियम की धारा 275 यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रियाएँ अनिश्चित काल तक ना चलती रहें, शास्ति प्रक्रियाओं के समापन हेतु कुछ समय सीमाएँ निर्धारित करती है। यद्यपि, अधिनियम शास्तियों की शुरुआत के लिए किसी समय सीमा पर मौन है। प्रक्रिया संहिता (खण्ड-II) केवल यही निर्धारित करती है कि सक्षम अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रक्रिया के दौरान यदि संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति संबंधित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी है, तो शास्ति लगाने की शुरुआत निर्धारण आदेश के साथ की जानी चाहिए। शास्ति प्रक्रियाओं की शुरुआत अधिनियम की धारा 274 के अन्तर्गत जापन जारी होने के साथ शुरू होती है।

दिल्ली सीआईटी (टीडीएस) प्रभार में, हमने पाया कि नि.व. 11 से संबंधित 28 मामलों में एवं नि.व. 12 से संबंधित 116 मामलों में प्रक्रियाएँ अभी शुरू की जानी शेष थीं। आईटीडी ने बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति लगाना शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं है। शास्ति प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा हेतु स्पष्ट प्रावधान के अभाव में ये मामले लम्बित पड़े हैं।

2.9 उद्ग्रहीत शास्तियों का धारणीयता सूचकांक

2.9.1 टीडीएस इकाईयाँ

शास्तियों को प्रभावशाली बनाने के लिए किफायत से एवं निर्णयात्मक ढंग से प्रयोग करना चाहिए ताकि अपेक्षित प्रभाव प्राप्त किया जा सके। शास्ति प्रक्रियाएं उचित जाँच के बाद केवल योग्य मामलों में आरंभ की जानी चाहिए ताकि शास्ति का उद्ग्रहण स्पष्ट को सके। हम यह जाँच करना चाहते थे कि शास्ति की शुरुआत एवं उद्ग्रहण एक नित्यक्रिया के रूप में किया जाता था अथवा उचित विवेक के उपयोगानुसार।

तालिका 2.2: टीडीएस इकाईयाँ में शास्तियाँ

विवरण	वि.व. 12 में आरंभ की गई प्रक्रियाएँ		
	राज्य		
	आंध्रप्रदेश	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड
1. आईटीडी इकाईयाँ की संख्या	54	64	11
2. आरंभ की गई शास्तियों की संख्या	715	1398	414
3. उद्ग्रहीत शास्तियों की संख्या	119	371	6
4. छोड़ दी गई शास्तियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	547	158
5. लम्बित शास्तियों की संख्या	उपलब्ध नहीं	480	250

यहाँ शास्ति लगाने योग्य मामलों में शायद ही कोई वृद्धि हुई थी। प्रक्रियाएँ सभी मामलों में नित्यक्रिया के रूप में शुरू की जा रही थीं यद्यपि संवीक्षा आकलनों में परिवर्धन किये गए थे। व्याख्यात्मक मुद्दों पर जहाँ न्यायालयों ने भिन्न मत अभिव्यक्त किया है, पूर्ववर्ती पूर्व निर्णयों पर आधारित अस्वीकरण कभी कभार ही शास्ति लगाने योग्य बनाते हैं। हमने पाया कि अधिकतर मामलों में इन शास्ति प्रक्रियाओं को छोड़ दिया गया था जोकि उद्ग्रहण के लिए मामलों के ठीक चुनाव पर शंका उत्पन्न करता है।

2.9.2 शास्तियों की श्रेणियाँ

शास्तियाँ आय के छिपाव के साथ-साथ अन्य कमियों के लिए आरोप्य हैं। उद्ग्रहीत शास्तियों के विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 2.3: शास्ति प्रक्रियाओं का विश्लेषण (संख्या में)

विवरण	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12
1. किये गए कुल संवीक्षा निर्धारण	5,38,505	4,29,585	4,55,212	3,69,320
2. कुल लम्बित शास्ति प्रक्रियाएँ	2,28,696	2,49,071	2,34,795	2,56,414
3. निपटाई गई शास्ति प्रक्रियाएँ	69,692	81,208	1,46,337	85,661
4. शेष शास्ति प्रक्रियाएँ	1,59,004	1,67,863	1,67,314	1,70,753

स्रोत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अतः पचास प्रतिशत से अधिक मामलों के परिणाम में कोई शास्तियाँ नहीं लगी होती। संवीक्षा प्रक्रियाएँ स्वयं में ही एक लम्बी प्रक्रिया हैं। शास्ति प्रक्रियाएँ, जो संवीक्षा के बाद होती हैं, भी उबाऊ हैं जिसमें पुनःसमर्पण अथवा अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करना सम्मिलित है। निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आए हैं:

क. शास्ति प्रक्रियाएँ हर दूसरी संवीक्षा प्रक्रिया में आरंभ की जा रही हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि दण्ड प्रक्रियाओं की बड़ी संख्या वास्तविक कर अपवंचन मामलों की ओर संकेत करती हैं अथवा यह निर्धारितियों एवं आईटीडी द्वारा अधिनियम की व्याख्या में भ्रम का सूचक है।

ख. निर्धारिती के कारोबार की काफी जाँच के बाद भी, आईटीडी पचास प्रतिशत के अधिक मामलों में शास्ति लगाने में विफल रहा था जोकि निर्धारिती के साथ-साथ आईटीडी के व्यर्थ व्यय एवं अनुपालन लागत की निष्फलता की ओर संकेत करता है।

आईटीडी कर्नाटक में छिपाव की शास्तियाँ एवं अन्य शास्तियों के तहत लगाई गई शास्तियों के हमारे विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 2.4: कर्नाटक में वि.व. 12 के दौरान शास्तियों का विश्लेषण

1. लगाई गई शास्ति	क. छिपाव के लिए अधिरोपण	3402	3807
	ख. अन्य शास्तियाँ	405	
2. छोड़ी गई शास्तियाँ			2548
3. लम्बित शास्तियाँ	क. 6 महीने से कम	5054	8144
	ख. 6 महीने से ज्यादा	3090	
4. मिलान नहीं किए गए मामले			274

चयनित इकाइयों में, नमूना जाँच किये गए 3,884 मामलों में से 1,935 मामलों में अतिरिक्त राशि लगाई गई एवं 1,487 मामलों (77%) में शास्ति प्रक्रियाएं शुरू की गई थी। 89 मामलों (5%) में ₹108.69 करोड़ की राशि की शास्ति लगाई गई थी। यद्यपि, केवल 10 मामलों में ₹1.79 करोड़ राशि की शास्तियाँ संग्रहित की गई थीं जो माँगी गई शास्ति के 2% से कम था। चूंकि आईटीडी शुरू की गई शास्ति प्रक्रियाओं को जारी नहीं रख सका, 869 मामलों विभिन्न स्तरों पर अपील के साथ साथ निर्धारिती के आधार पर एओ स्तर पर छोड़ दिये गए थे।

अतः हम शास्ति के लिए मामलों के चयन अथवा शुरू किये गए/पूरे किये गए मामलों में उगाही को बनाये रखना आश्वस्त नहीं कर सकते क्योंकि वे या तो छोड़ दिये जाते हैं अथवा अपीलों में रद्द कर दिये जाते हैं।

2.10 सम्पदा कर अधिनियम के अन्तर्गत शास्तियाँ

2.10.1 सम्पदा कर अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति का उद्ग्रहण न करना

कर के लिए आदेय सकल सम्पदा में सम्पदा कर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हैं जोकि मूल्यांकन तिथि पर विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में से किसी के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा लिए गए किसी ऋण के समायोजन के अध्यक्षीन हैं। सम्पदा कर का भार देयताओं की सकल परिसम्पत्ति पर है। अनुपालन एवं फाईलिंग की अपेक्षाओं में चूकों पर ब्याज एवं शास्तियाँ लगती हैं।

हमने पाया कि दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के राज्यों में सम्पदा कर अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति के उद्ग्रहण के कोई मामले नहीं थे।

2.10.2 सम्पदा कर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति

सम्पदा कर अधिनियम के अन्तर्गत, सम्पदा की रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता पर ₹ 1,000 से ₹ 25,000 तक की शास्तियाँ लगती हैं। कर के लिए आदेय सम्पदा के छिपाव पर पकड़े न जा सके सम्पदा कर के 100 से 500 प्रतिशत तक की शास्ति लगती है।

चार राज्यों⁸ में 39 मामलों में हमने पाया कि कर योग्य सीमा से अधिक सम्पदा होने के बावजूद निर्धारितियों ने सम्पदा कर की रिटर्न फाईल नहीं की थी जिसमें ₹ 67.67 लाख का कम कर उद्ग्रहण समाहित है। (बॉक्स 2.5 देखें)

बॉक्स 2.5: सम्पदा कर रिटर्न फाईल ना करने वाले निर्धारिती का सोदाहरण मामला

सीआईटी भुवनेश्वर, ओडिशा में नि.व. 10 के लिए मैसर्स लालचन्द ज्वैलर्स (प्रा) लिमिटेड का निर्धारण दिसम्बर 2011 में संवीक्षा की शैली में पूरा हुआ था। निर्धारण से पता चला कि निर्धारिती के पास ₹ 1.21 करोड़ मूल्य की मोटर कारें हैं। न तो निर्धारिती ने अपना सम्पदा कर रिटर्न फाईल की थी न ही एओ ने प्रक्रिया आरंभ की थी। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप ₹ 3.10 लाख (₹ 1.55 लाख का कर एवं ₹ 1.55 लाख की शास्ति) का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी मुद्दे की जाँच के लिए सहमत हुआ था (दिसम्बर 2012)।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जाँच की जा रही है।


⁸ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़

आईटीडी में टीडीएस एवं आकलन विंग के बीच समन्वय नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आयकर निर्धारण में संबंधित व्यय को अस्वीकृत करने के लिए क्षेत्राधिकारी एओ को टीडीएस की सूचना प्राप्त नहीं होती।

2.11 सूचना का प्रसार

2.11.1 टीडीएस विंग एवं निर्धारण विंग के मध्य समन्वय

अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत, प्रत्येक निर्धारिती को आय की रिटर्न फाईल करनी होती है जिससे उसके द्वारा अर्जित आय तथा उस पर भुगतान योग्य/भुगतान किये गए करों का पता चलता है। जहाँ एक निर्धारिती अपनी गतिविधियों (व्यापार अथवा व्यवसाय) के दौरान दूसरो को ऐसे भुगतान करता है जिसपर स्रोत पर कर की कटौती की गई है, वहाँ निर्धारिती द्वारा किये गए भुगतानों एवं ऐसे भुगतानों से कर की कटौती को दर्शाता है, टीडीएस की एक रिटर्न फाईल करेगा।



2.11.2 टीडीएस अधिकारियों द्वारा शास्तियाँ

निर्धारितियों द्वारा किए गए कर योग्य भुगतानों पर स्रोत से ही कर कटौती में विफलता अथवा टीडीएस भेजने में विफलता पर शास्ति का उद्ग्रहण करना होगा इससे अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत स्वीकृति भी नहीं मिलेगी। अतः कर की कटौती न होने अथवा कम कटौती होने के लिए शास्ति आदेश पारित करने वाला कोई भी टीडीएस अधिकारी क्षेत्राधिकारी एओ को आयकर निर्धारण में संबंधित व्यय को अस्वीकृत करने के लिए सूचित करेगा।

हमने नौ राज्यों⁹ में 241 मामलों में देखा, टीडीएस अधिकारियों ने स्रोत पर कर की कटौती ना करने के मामलें खोजे थे जिनमें ₹ 109.69 करोड़ का कर प्रभाव समाहित था (बॉक्स 2.6 देखें)।

⁹ असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड

बॉक्स: 2.6: टीडीएस की कटौती ना होने पर एओ द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण ना करने के सोदाहरण मामलें

क. महाराष्ट्र में, सीआईटी (टीडीएस), पूणे के क्षेत्राधिकारी टीडीएस अधिकारी ने नि.व. 09 से नि.व. 12 के दौरान 103 आकलन पूरे किए थे जिनमें से 78 मामलों में टीडीएस की चूकें हुई थीं। फिर भी, ₹ दो लाख की टीडीएस चूक वाले चार मामलों छोड़कर, अन्य मामले धारा 40(ए)(आईए) के अन्तर्गत अस्वीकृति के लिए संबंधित एओ को प्रेषित नहीं किये गए थे।

ख. केरल, सीआईटी ॥ कन्नूर प्रभार में डीसीआईटी, सर्कल-1 के तहत टीडीएस विंग ने चिकित्सा विज्ञान अकादमी के लेखाओं की जाँच करने पर केरल राज्य सहकारी अस्पताल काम्पलैक्स लिमिटेड को ₹ 6.50 करोड़ मूल्य राशि के पट्टा किराया के भुगतान पर ₹ 3.90 करोड़ के टीडीएस की कटौती ना किए जाने का पता लगाया। शास्ति की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 3.90 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

ग. महाराष्ट्र में, टीडीएस विंग द्वारा किए गए 79 सर्वेक्षणों से ₹ 14.50 करोड़ की टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती होने/ना होने वाले टीडीएस/टीसीएस की चूकों के 58 मामलों का पता लगा। इन्हें आकलन में अस्वीकृतियों के लिए एओ को प्रेषित नहीं किया गया था।

घ. गुजरात में, ₹ 126.62 करोड़ के व्यय वाले दो मामलों¹⁰ का सीआईटी (टीडीएस), अहमदाबाद के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी टीडीएस विंग द्वारा पता लगाया गया था, जहाँ स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। व्यय को अस्वीकृत करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 42.87 करोड़ का संभावित उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसी प्रकार सात सीआईटी प्रभारों के अन्तर्गत 14 अन्य मामलों¹¹ में ₹ 6.35 करोड़ की अस्वीकृतियों को लागू शास्तियों के उद्ग्रहण द्वारा दण्डित नहीं किया गया था जिनमें ₹ 40 लाख का संभावित उद्ग्रहण सम्मिलित था।

इस प्रकार आकलन विंगों एवं टीडीएस विंगों के मध्य सूचना सांझा करने का तंत्र शिथिल था।

¹⁰ वोडाफोन वेस्ट लिमिटेड (नि.व.10); गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड (नि.व.10 से नि.व.13)।

¹¹ 1 सुदीप ए पटेल, 2 पी पी पाटेल, 3. विजन कार्पोरेशन लि., 4. हेल्दी फूड्स एण्ड बेवरिजेज 5 सिमेन्स हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक लि. 6 आस्टिन इंजि. कं. लि. 7 विनय सॉल्वेन्ट एक्सटेक्शन कं., 8 कालीदास पी वानिक, 9 शान्तिलाल नागर दास एण्ड कं., 10 जीएमएम पीफोल्डर लि., 11 छत्रीय डि हाईड्रेड ओनियन एक्सपोर्ट्स, 12 गुजरात टेलीकॉम लि., 13 शान्ति कन्सल्टेशन कं. एवं 14 मैसर्स बनयन एंड वेरी एलॉयस लि.

2.11.3 टीडीएस एवं टीसीएस प्रावधानों के अनुपालन में विफलता एवं एओ द्वारा अस्वीकृतियां

अधिनियम की धारा 40(ए)(आईए) में प्रावधान है कि व्यापार अथवा व्यवसाय के दौरान दूसरों को किए गए कर योग्य भुगतानों पर स्रोत से ही कर कटौती में विफलता का परिणाम संबंधित व्यय की अस्वीकृति होगा एवं दण्डिक ब्याज भी लगेगा।

हमने 17 राज्यों¹² में 337 मामले देखे जिनमें ₹ 65.97 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था जहाँ टीडीएस/टीसीएस से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। (बॉक्स 2.7 देखें)

बॉक्स 2.7: टीसीएस/टीडीएस प्रावधानों के उल्लंघन के सोदाहरण मामले

क. दिल्ली सीआईटी (आईटी) प्रभार में, **मैसर्ज हेविट एसोसिएट्स (इण्डिया) प्रा. लि.** द्वारा ₹ 1.40 करोड़ की राशि के कर की स्रोत पर कटौती नहीं की जाने पर भी कोई शास्ति प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई थी जो कि विभिन्न धाराओं¹³ के तहत ₹ 42.17 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2011 में पूरे हुए नि.व. 08 के लिए आकलन आदेश से स्पष्ट था।

ख. इसी प्रकार, सीआईटी (आईटी), बेंगलूर प्रभार, कर्नाटक में नि.व. 08 के लिए **मैसर्ज ऑनसिस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.** पर ₹ 1.40 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई गई थी जबकि निर्धारित ₹ 13.67 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहा था। निर्धारण दिसम्बर 2010 में संवीदा के बाद पूरा हुआ।

ग. आन्ध्र प्रदेश में, हैदराबाद प्रभार में नि.व. 09 के लिए **मैसर्ज नैशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लि.** पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी जबकि एओ ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत संवीक्षा आकलन आदेश में दलाली भुगतानों पर ₹ 25.22 करोड़ अस्वीकृत कर दिए थे। कुल कर प्रभाव ₹ 7.23 करोड़ बना था। इसमें ₹ 2.85 करोड़ का कम टीडीएस, ₹ 1.51 करोड़ का ब्याज एवं ₹ 2.85 करोड़ की शास्ति सम्मिलित थी।

घ. पश्चिम बंगाल में सीआईटी-III, को कोलकाता प्रभार में, **मैसर्ज ब्रिटैनिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड** पर ₹ 58.72 लाख की शास्ति नहीं लगाई गई थी जबकि

¹² आन्ध्र प्रदेश; बिहार; दिल्ली; हरियाणा; हिमाचल प्रदेश; जम्मू एवं कश्मीर; झारखण्ड; कर्नाटक; केरल; मध्यप्रदेश; महाराष्ट्र; ओडिशा; पंजाब; तमिलनाडू; उत्तर प्रदेश; उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल।

¹³ 194सी, 194जे, 194आई एवं 195

निर्धारिती ₹ 22.19 करोड़ के ठेकाकृत भुगतान से कर की कटौती करने में विफल रहा था। यह अक्टूबर 2011 के नि.व. 08 के लिए संवीक्षा आकलन आदेश से स्पष्ट था।

ड. दिल्ली सीआईटी-VI प्रभार में, **मैसर्स बेंगलज टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.** पर कोई दाण्डिक प्रक्रिया आंरभ नहीं की गई थी जबकि निर्धारिती ने नि.व. 10 के दौरान ₹ 42.25 लाख की कर कटौती की थी परन्तु इसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया था। यह दिसम्बर 2011 के संवीक्षा आकलन आदेश में उपलब्ध 3 सीडी रिपोर्ट से स्पष्ट था। प्रक्रियाएँ प्रारंभ ना करने के परिणामस्वरूप ₹ 42.45 लाख की शास्ति नहीं लगी।

च. दिल्ली सीआईटी केन्द्रीय III प्रभार में, हालाँकि **मैसर्स पैराडाईज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.** के निर्धारण में राशियों से संबंधित व्यय जिस पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई थी, को अस्वीकृत कर दिया गया था, कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 35.61 लाख की शास्ति नहीं लगी। नि.व. 10 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2011 में ₹ 551.56 लाख के नुकसान पर संवीक्षा के बाद पूरा हुआ।

लागू शास्तियों के उद्ग्रहण द्वारा अस्वीकृतियों पर उचित रूप से आगे की कार्यवाही नहीं की जा रही थी। मंत्रालय को आईटीडी में विभिन्न विंगों के मध्य समन्यव सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राजस्व प्रयास समन्वित हों।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जाँच की जा रही है।

ख. शास्ति का उद्ग्रहण

आईटीडी ने (क) आयकर रिटर्न, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बही खातों से संबंधित फाईलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन ना करने; (ख) आय को छिपाने एवं (ग) टीडीएस/टीसीएस के लिए रिटर्न उपलब्ध कराने में विफलता जैसे मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति नहीं लगाई थी।

2.12 आयकर रिटर्न, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, बही खातों इत्यादि से संबंधित फाईलिंग की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफलता।

अधिनियम की धारा 271 ए में प्रावधान है कि प्रत्येक निर्धारिती के लिए बही खाते एवं संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण आवश्यक है जिसमें विफल होने पर वह ₹25,000 की शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। टर्नओवर ₹ 60 लाख से अधिक होने पर जहाँ निर्धारिती धारा 44एबी के अनुसार अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने में विफल होता है तो धारा 271बी के अन्तर्गत कुल ब्रिक्री के डेढ़ प्रतिशत (अथवा 1 लाख, जो भी कम हो) की दर से शास्ति उद्ग्रहणीय है। नियत तिथियों तक आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता पर अधिनियम की धारा 271 एफ के तहत ₹ 5,000 की दर से शास्ति लगेगी। धारा 139(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सत्वों द्वारा निर्धारित तिथियों में अपनी आयकर रिटर्न फाईल करनी आवश्यक है। इस ऐसा करने में विफलता होने पर धारा 272 (ए)(2ई) के अन्तर्गत चूक जारी रहने पर ₹ 100 प्रति दिन की दर से शास्ति लगती है।

हमने 344 मामले देखे जहाँ बही खातों को अनुरक्षण करने, रिटर्न फाईल करने, बही खातों की लेखापरीक्षा करवाने में विफलता हुई थी। 17 राज्यों¹⁴ में ₹ 85 लाख की राशि की लागू शास्तियाँ उद्ग्रहण योग्य थीं।

2.13 निर्धारण प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता

अधिनियम की धारा 271(1)(बी) में प्रावधान है कि जहाँ निर्धारिती आईटीडी द्वारा धारा 115डब्ल्यूडी अथवा धारा 115डब्ल्यूई अथवा धारा 115डब्ल्यूई अथवा 142(1) अथवा धारा 143(2) के अन्तर्गत जारी किये गए ज्ञापनों का

¹⁴ आन्ध्र प्रदेश; बिहार; दिल्ली; गुजरात; हरियाणा; हिमाचल प्रदेश; कर्नाटक; केरल; महाराष्ट्र; मध्य प्रदेश; ओडिशा; पंजाब; राजस्थान; तमिलनाडु; उत्तर प्रदेश; उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल।

अनुपालन करने में विफल होता है, तो ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए ₹ 10,000 की शास्ति उद्ग्रहणीय होगी।

हमने पाया कि 303 मामलों में यद्यपि निर्धारितियों ने आईटीडी के जापनों का अनुपालन नहीं किया था, तथापि शास्तियाँ नहीं लगाई गई थीं। 11 राज्यों¹⁵ में इस प्रकार से लगाई जा सकने योग्य शास्ति ₹ 68.80 लाख बनती है।

2.14 आय के छिपाव के लिए शास्ति लगाने में विफलता

अधिनियम की धारा 271(1)(सी) में प्रावधान है कि यदि किसी निर्धारिती ने आय के विवरणों को छिपाया है अथवा ऐसी आय के गलत विवरण प्रस्तुत किये हैं, तो वह अपवंचित कर के 100 से 300 प्रतिशत तक की शास्ति के लिए उत्तरदायी है।

हमने देखा कि 14 राज्यों¹⁶ में 214 मामलों में ₹ 73.20 करोड़ का कर प्रभाव समाहित था जहाँ उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। (बॉक्स 2.8 देखें)

बॉक्स 2.8: आय छिपाने के लिए शास्ति लगाने में विफलता के सोदाहरण मामले

क. उत्तर प्रदेश, कानपुर सीआईटी II प्रभार में, जांच निर्धारण (दिसम्बर 2010 में पूर्ण नि.व. 09 के लिए) के दौरान **मै. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन** द्वारा ₹ 117.21 करोड़ की राशि के व्यय के गलत ब्यौरे देने के लिए प्रारम्भ की गई शास्ति कार्रवाई न तो छोड़ी गई न ही निर्धारिती ने कोई उत्तर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.21 करोड़ की न्यूनतम शास्ति नहीं लगाई गई।

ख. मध्यप्रदेश सीआईटी II, जबलपुर प्रभार में, **मै. एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लि.** का निर्धारण (नवम्बर 2011 में पूर्ण नि.व. 10 के लिए) पूरा किया गया जिसमें आयकर के भुगतान पर ₹ 53.78 करोड़ का व्यय और फ्रिन्ज बेनिफिट टैक्स देयताओं पर ₹ एक करोड़ का व्यय अनुमत किया गया था। न तो आयकर विभाग ने इन असवीकार्य राशियों को अननुमत किया और न ही लागू शास्तियाँ लगाईं। इस मामले में लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति ₹ 18.62 करोड़ थी।

¹⁵ आंध्र प्रदेश; असम; बिहार; गुजरात; झारखण्ड; कर्नाटक; ओडिशा; पंजाब; राजस्थान; उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।

¹⁶ आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल।

ग. तमिलनाडु में सीआईटी सैन्ट्रल, चैन्नई के एओ ने दिसम्बर 2009 में पूर्ण नि.व. 08 के लिए संवीक्षा निर्धारण करते समय **मै. पी.एस. राजेश्वरी** द्वारा आय छिपाने के लिए उगाही योग्य शास्ति की गणना की और पूंजीगत लाभ (₹ 6.95 करोड़) के संबंध में अतिरिक्तों की गणना करने में विफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.56 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई गई।

इस प्रकार कोई शास्ति नहीं लगाई गई जबकि आय छिपाई गई थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) की मामलों की जांच की जा रही है।

2.15 स्रोत पर कर कटौती के लिए रिटर्न जमा करने में विफलता

अधिनियम की धारा 272ए (2के) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निर्दिष्ट समय की देय तिथि के भीतर टीडीएस रिटर्न या टीसीएस रिटर्न की प्रति सुपुर्द करने में विफल हो जाए तो उसे जब तक विफलता जारी रहे, उस दौरान ₹ 100 प्रतिदिन की शास्ति का भुगतान करना होगा।

हमने पाया कि यद्यपि निर्धारिती अपने टीडीएस या टीसीएस रिटर्न भरने में विफल रहे थे, उन पर लागू कोई शास्तियां नहीं लगाई गई थी। छः राज्यों¹⁷ में 2,175 मामलों में गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 5.13 करोड़ की कम शास्ति लगाई गई।

आयकर विभाग ने नकद लेन-देन के प्रावधानों पर शास्तियां नहीं लगाई जिसके कारण ₹ 56.60 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

2.16 नकद लेन-देनों के लिए शास्ति लगाने में विफलता

अधिनियम की धारा 269 एसएस के अनुसार कोई भी व्यक्ति खाते में देय चैक या ड्रॉफ्ट के अलावा ₹ 20,000 या अधिक का ऋण या जमा किसी अन्य व्यक्ति से स्वीकार नहीं करेगा।

ऐसी राशि स्वीकार करने पर धारा 271डी के अन्तर्गत ऋण/जमा की राशि के बराबर शास्ति लगेगी। धारा 269टी के अनुसार खाते में देय चैक या ड्रॉफ्ट के अलावा ₹ 20,000 या अधिक का ऋण या जमा किसी अन्य व्यक्ति को

¹⁷ बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड

भुगतान नहीं करेगा। ऐसे भुगतानों पर 271ई के अन्तर्गत ऋण/जमा की राशि के बराबर शास्ति लगेगी।

हमने पाया कि ₹ 88.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16 राज्यों¹⁸ के 134 मामलों में इन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था (बॉक्स 2.9 देखें)

बॉक्स 2.9: नकद लेन-देनों के लिए शास्ति के उदग्रहण न करने के निदर्शी मामले

क. मध्य प्रदेश सीआईटी, भोपाल प्रभार में नि.व. 10 के दौरान **मै. आरवीआर टेक्नोलोजिज़ लि.** द्वारा ₹ 1.55 करोड़ के ऋण के नकद पुनर्भुगतान को लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में दर्शाया गया था। संवीक्षा आदेश अक्टूबर 2012 में पारित किया गया था। निर्धारिती द्वारा उल्लंघन के लिए न तो कारण उपलब्ध कराए गए थे न ही शास्ति प्रक्रियाएं आरम्भ की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ उदग्रहण नहीं हुआ।

ख. कर्नाटक, सीआईटी III बेंगलुरु प्रभार में, **मै. बीजेएन होटल्स लि.** ने नि.व. 08 और नि.व. 10 के दौरान लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार क्रमशः ₹ 12.15 करोड़ एवं ₹ 6.15 करोड़ के ऋण को क्रमशः स्वीकार और पुनर्भुगतान किया था। संवीक्षा आदेश क्रमशः नवम्बर 2009 और सितम्बर 2011 में पारित किए गए थे। निर्धारिती द्वारा उल्लंघन के लिए न तो कारण उपलब्ध कराए गए थे न ही शास्ति प्रक्रियाएं आरम्भ की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.30 करोड़ (धारा 271डी के तहत ₹ 12.15 करोड़ और धारा 272ई के तहत ₹ 6.15 करोड़) की शास्ति का उदग्रहण नहीं हुआ।

ग. ओडिशा भुवनेश्वर प्रभार में **श्री चरणजीत सिंह ग्रेवाल** ने नि.व. 10 के दौरान लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 18.28 करोड़ के ऋण या जमा को स्वीकार किया। संवीक्षा आदेश नवम्बर 2009 में पारित किए गए थे। निर्धारिती द्वारा उल्लंघन के लिए न तो कारण उपलब्ध कराए गए थे न ही शास्ति प्रक्रियाएं आरम्भ की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.28 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं हुआ।

घ. उत्तर प्रदेश सीआईटी सैन्ट्रल, कानपुर प्रभार में, **श्री रामजी मेहरोत्रा** ने नि.व. 09 के दौरान लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 1.02 करोड़ के ऋण या जमा को स्वीकार किया। संवीक्षा आदेश अप्रैल 2010 में पारित किए गए थे। निर्धारिती द्वारा उल्लंघन के लिए न तो कारण उपलब्ध कराए गए थे न ही शास्ति प्रक्रियाएं आरम्भ की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं हुआ।

¹⁸ आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

मंत्रालय नकद लेन-देनों के लिए उचित शास्तियों को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकता है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जांच की जा रही है।

2.17 लागू करों के भुगतान में विफलता

धारा 221 में प्रावधान है कि जब कोई निर्धारिती कर के भुगतान करने में चूक जाता है तब वह शास्ति के भुगतान (बकाया कर के अलावा) का दायी होगा जैसा कि एओ, अदत्त शेष कर (ब्याज सहित) की राशि से अधिक नहीं, निर्देश करें।

हमने ₹ 116.78 करोड़ के कर प्रभाव वाले नौ राज्यों¹⁹ में 586 मामलों को देखा जहां उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था (बॉक्स 2.10 देखें)।

बॉक्स 2.10: लागू करों के भुगतान करने में विफलता के निदर्शी मामले

क. कर्नाटक सीआईटी II, बेंगलुरु प्रभार में, **मै. त्रिशूल बिल्डटैक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.** के निर्धारण (दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद निष्कर्षित नि.व. 10) से पता चला कि ₹ 23.06 करोड़ का स्व-निर्धारण कर अदत्त छोड़ दिया गया था जिसके लिए कोई शास्ति कार्रवाई नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.06 करोड़ की शास्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

ख. उत्तर प्रदेश सीआईटी II, कानपुर प्रभार में, कर मांगों की जांच से पता चला कि **मै. यूपीएसआईडीसी लि.** ने नोटिस जारी करने की तारीख से तीन से पांच वर्षों के बीत जाने के बाद भी नि.व. 06 और नि.व. 08 के लिए ₹ 1.13 करोड़ एवं ₹ 8.06 करोड़ के करों को जमा नहीं किया था, लेकिन आयकर विभाग ने शास्ति प्रावधानों का अवलम्ब नहीं लिया। इस चूक के परिणामस्वरूप दोनों नि.व. के लिए ₹ 9.19 करोड़ की अधिकतम शास्ति की राशि का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करें कि क्या कर मांगों को समय पर एकत्र एवं चूकों को दण्डित किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि मामलों की जांच की जा रही है।

¹⁹ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश।

2.18 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि

1. शास्ति प्रक्रियाओं का प्रारम्भ, उद्ग्रहण एवं आदेश की समस्त प्रक्रिया उचित प्रकार से अभिलिखित की जानी चाहिए ताकि प्रक्रियाएं प्रक्रियात्मक कमियों से प्रभावित न हो।

मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2013) कि शास्तियाँ की मानीटरिंग की प्रणाली आयकर विभाग में विद्यमान है। तथापि, उन्होंने स्वीकार किया कि यहां सुधार की गुंजाइश है। मंत्रालय ने आगे बताया कि आयकर विभाग की पुनर्संरचना के साथ एवं आयकर व्यवसाय प्रयोज्यता (आईटीबीए) की प्रस्तावना के साथ यह उचित अभिलेखों को अनुरक्षण का ध्यान रखेगा एवं बेहतर एमआईएस तथा मानीटरिंग को सुगम बनाएगा।

मंत्रालय ने आगे कहा (नवम्बर 2013) कि नए आईटीबीए आवेदन में प्रशासन को शास्ति की उगाही के लिए एक अलग माड्यूल की परिकल्पना है और इसमें मुख्य रूप से पाँच घटक हैं जाकि (i) शास्ति वसूली योग्य मामलों की पहचान करना (ii) शास्ति लगाना (iii) शास्ति मामलों का प्रसंस्करण करना (iv) शास्ति का निपटान (v) एमआईएस रिपोर्ट बनाना और इसे सम्बन्धित पंजीकाओं से जोड़ना।

2. मंत्रालय सुनिश्चित कर सकता है कि आय के छिपाव पर अधिनियम के अनुसार शास्ति लगायी जाए।

मंत्रालय ने विद्यमान कानून एवं आरंभ करने की प्रक्रिया तथा शास्तियों के उद्ग्रहण की प्रक्रिया की व्याख्या करते समय बताया कि (अक्टूबर 2013) निर्धारण प्रक्रियाओं में किए गए संवर्धन स्वतः शास्ति के अधिरोपण को न्याय संगत नहीं करते एवं कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है यदि निर्धारिती युक्तियुक्त कारण को साबित कर दे। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए वैयक्तिक मामलों के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

3. मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर मांग समय पर एकत्र की जा रही है एवं चूकों पर शास्ति लगाई जा रही है, एक उचित तंत्र की स्थापना कर सकता है।

मंत्रालय ने कर मांगों की वसूली की मानीटरिंग के लिए विद्यमान प्रक्रिया की व्याख्या करते समय बताया (अक्टूबर 2013) कि वि.व. 2013-14 की केन्द्रीय कार्रवाई योजना, सीबीडीटी ने राजस्व को बढ़ाने के लिए रणनीति निर्धारित की है। यद्यपि, आईटीबीए के माध्यम से चूकों एवं शास्ति की कठोरतर मानीटरिंग सम्भव होगी। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए गए विनिर्दिष्ट उदाहरणों पर उचित कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा।

4. मंत्रालय आयकर विभाग में विभिन्न विंगों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करे जिससे कि राजस्व प्रयासों को समन्वित किया जाए।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि आयकर निदेशालय (टीडीएस) नई दिल्ली को विभिन्न विंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रालय ने जानकारी को साझा करने की प्रणाली दुष्क्रियाशील, को ध्यान में रखते हुए कहा कि इसको सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

मंत्रालय ने आगे कहा (नवम्बर 2013) कि टीडीएस विंग और निर्धारण विंग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सीबीडीटी ने ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात समुचित सूचना के आदान प्रदान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

5. मंत्रालय निर्धारित सीमाओं से परे ऋण और जमा से संबंधित नकद लेन-देनों के लिए उचित शास्तियां सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करे।

मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2013) कि उचित प्रणाली और प्रावधान बनाए गए हैं। तथापि, आईटीबीए को शुरू करने से तंत्र मजबूत होगा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए विशेष मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।